तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **हिम्मत सिंह गहलोत** **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353622269182529	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/10/25	अपीलार्थी हिम्मत सिंह गहलोत निवासी सुलिया बाग चोखा बाइपास रोड, चौपासनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 21.08.2025 को उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट जोधपुर (दक्षिण) द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या – 01/2025 में प्रतिवादियों को समन तामील करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के नाम से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण, जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर	

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.10 16:39:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18272263